सं /१८५३/१५-७-०८-९६(५)/२००६

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा (७) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 16 जून,२००६

विषयः- **बी.एस. पब्लिक स्कूल जलालाबाद रोड, शाहजहांपुर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(१) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(२) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(३) विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(४) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

(५) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को [illegible] शिक्षा [illegible] संस्थाओं के कर्मचारियों [illegible] अनुमन्य [illegible] तथा [illegible] नहीं दिए जायेंगे ।

(६) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(७) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी ।

(८) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(९) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

२- उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उपसचिव ।

पृ० संख्या एवं दिनांक तदेव
....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
२- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वरेली ।
३- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ।
४- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
५- प्रवन्धक, वी०पी०एस०पब्लिक स्कूल, जलालावाद रोड, शाहजहांपुर ।
६- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उपसचिव ।